श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण कमांक /2014

R - 4160 - III/14

जसवंत राय आवल तनय स्व0 श्री उत्तमचन्द्र आवल उम्र 73 वर्ष निवासी स्टेशन रोड वार्ड क्रमांक 16 मैहर तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0। ....आवेदक / निगराकार

बनाम

दिलीप कुमार आवल तनय स्व0 श्री मनोहर लाल आवल उम्र 47 वर्ष निवासी स्टेशन रोड वार्ड कमांक 16 मैहर तहसील मैहर जिल सतना म0प्र0। ....अनावेदक / गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध निर्णय राजस्व निरीक्षक महोदय तहसील मैहर के राजस्व प्रकरण कमांक 44अ12 / 2013–14 आदेश दिनांक 29 / 09 / 2014।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता

निगराकार निम्न तथ्य एवं आधारो पर निगरानी पेश कर विनयी है :–

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि मौजा मैहर स्थित आराजी नंबर 1428 रकवा 0.093 हे0, के मालिक भूमि स्वामी कमशः आराजी 1428 / 1 रकवा 0.031 हे0, निगराकार के भाई मनोहर लाल जिनकी मृत्यु होने पर वारिस दिलीप कुमार वगैरह तथा 1428 / 2 रकवा 0.010 हे0, स्व0 गोविन्द चन्द्र के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4160-III/14 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. यह निगरानी आवेदन रा नि के आदेश दि २९-९-१४ के विरुद्ध प्रस्तुत है, जिसके द्वारा उन्होंने इस न्या के अनावेदक दिलीप की भूमि के सीमांकन की पुष्टि यह लिखत हुए की है कि आवेदक जसवंत ने सूचना पत्र आदि पर हस्ताक्षर नहीं किय ना ही अपनी आपत्ती के सम्बन्ध में बावजूद सूचना कोई कागजात ही पेश किये, जबकि वे स्वयं और उनका पुत्र सीमांकन में मौके पर उपस्थित थे. रा नि अपने आदेश में प्रतिवेदन प्रदर्श ए, पंचनामा बी और सूचना पत्र सी का लेख करते हुए उन्हें आदेश का हिस्सा माना है, किन्तु इस न्या में आवेदक ने पुष्टि आदेश की आदेश पत्रिका के लेख के साथ उक्त प्रदर्शों की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराईं जबकि मैंने तर्क के दौरान उन्हें समक्ष में उन्हें देने हेतु दि २९-२-१६ तक का समय दिय था और तदाशय की नोटिंग आदेश पत्रिका पर भी की थी जिसे आवेदक अधिवक्ता ने नोट किया था. ऐसे में आवेदक ने इस न्या को आक्षेपित आदेश की पूर्ण प्रति उपलब्ध नहीं कराई है जिससे इस निगरानी के ग्राह्य-योग्य होने या नहीं होने पर सही से विचार किया जा सके. आवेदक, जो कि सिमनाकन में आपत्तीकर्ता था, ने अधीनस्थ न्या के समक्ष भी आवश्यक दस्तावेज़ नहीं दिए थे. उपरोक्त के प्रकाश में मैं इस निगरानी को ग्राह्य करने हेतु समुचित कारण एवं दस्तावेजी आधार, अवसर देने के बावजूद, उपलब्ध नहीं पाता हूँ. यदि इस निगरानी को ऐसे में ग्राह्य किया जाता है तो अनावश्यक न्यायिक वाद बढ़ने की सम्भावना प्रबल होगी और प्रतिपक्ष को अनावश्यक तौर पर न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना करने की सम्भावना ही ज्यादा प्रबल बनेगी. अतः, मैं इस निगरानी आवेदन को अग्राह्य करता हूँ. इसी के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है. आदेश पारित. पक्षकार सूचित हों. प्रकरण समाप्त. दा द हो. (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	